



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092022-238655  
CG-DL-E-08092022-238655

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 607]  
No. 607]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2022/भाद्र 16, 1944  
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2022/BHADRA 16, 1944

संस्कृति मंत्रालय

(राष्ट्रीय अभिलेखागार)

अधिसूचना संबंधी शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

**सा.का.नि. 686(अ).**—संविधान के अनुच्छेद-309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और (i) संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली (अभिलेख उपनिदेशक ग्रुप 'क' भर्ती नियम, 2000 और (ii) राष्ट्रीय अभिलेखागार, (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पदों की भर्ती) नियम, 1993 के अधिक्रमण में, जहां तक अभिलेख सहायक निदेशक (रिकॉर्ड और प्रकाशन), अभिलेखाधिकारी (सामान्य और सहायक अभिलेखाधिकारी (सामान्य) के पदों का संबंध है, अधिक्रमण से की गई और इससे पूर्व निकाली गई वस्तुओं को छोड़कर, राष्ट्रपति एतद्वारा राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय में ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम को बनाते हैं, अर्थात् :-

**1. लघु शीर्षक और प्रारंभ .**—(1) इन नियमों को राष्ट्रीय अभिलेखागार (ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' पद भर्ती) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2.) ये नियम 6 फरवरी, 2020 से प्रभावी होंगे।

2. संस्कृति विभाग, राष्ट्रीय अभिलेखागार, (अभिलेख सहायक निदेशक (रिकॉर्ड और प्रकाशन), ग्रुप 'क' भर्ती (संशोधन) नियम, 1993 की अनुसूची में, क्रम संख्या 12 के विरुद्ध प्रविष्टियां निम्नलिखित की प्रतिस्थानी होंगी;

3. ग्रुप 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) इसमें शामिल हैं:

(1) अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

- अध्यक्ष

(2) संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय

- सदस्य

- (3) उपसचिव /निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य  
 (4) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - सदस्य

ग्रुप 'क' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) इसमें शामिल हैं :

- (1) महानिदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार - अध्यक्ष  
 (2) अभिलेख उपनिदेशक - सदस्य  
 (3) उपसचिव /निदेशक, संस्कृति मंत्रालय - सदस्य

**विवरणात्मक ज्ञापन :** पूर्वप्रभाव से किए संशोधन से किसी भी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा

[फा. सं. ए.-5-10/2014- स्था.- I(खंड-II)]

चन्दन सिन्हा, महानिदेशक

## MINISTRY OF CULTURE

(National Archives of India)

### NOTIFICATION CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th February, 2022

**G.S.R.686(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the (i) Department of Culture, National Archives of India, New Delhi (Deputy Director of Archives) Group 'A' Recruitment Rules, 2000 and (ii) National Archives of India (Recruitment to Group 'A' and Group 'B' posts) Rules, 1993, in so far as they relate to the posts of Assistant Director of Archives (Records and Publication), Archivists (General and Assistant Archivist (General) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment of Group 'A' and Group 'B' posts in the National Archives of India, New Delhi, Ministry of Culture, namely:-

- Short title and commencement** – (1) These rules may be called the National Archives of India, (Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment) Rules, 2020.  
 (2) They shall come into force on the 6<sup>th</sup> February, 2020.
- In the schedule of the Department of Culture, National Archives of India (Assistant Director of Archives (Record & Publication) Group 'A' Recruitment (Amendment) Rules, 1993, entries against serial number 12 shall be substituted with the following:-
- Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :
  - Chairman/Member, Union Public Service Commission - Chairman
  - Joint Secretary, Ministry of Culture - Member
  - Deputy Secretary/Director, Ministry of Culture - Member
  - Director General, National Archives of India - Member
 Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :
  - Director General, National Archives of India - Chairman
  - Deputy Director of Archives - Member
  - Deputy Secretary/Director, Ministry of Culture - Member

**Explanatory memorandum:** Giving retrospective effect to the amendment will not prejudicially affect the interest of any person.

[F.No.A-5-10/2014-Estt-I (Vol. II)]

CHANDAN SINHA, Director General